


प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम अरविंद कुमार उहेरिया 2. वर्तमान धारित पद निज सचिव 3. कार्यालय का नाम मुख्य अभियंता (परी. एवं संचार), म0प्र0पॉ0द्रां0कं0लिमि0, जबलपुर  
4. वर्तमान वेतन रू0 21790/- +रू0 5400/- ग्रेड पे +.डी.ए. 5. भविष्य निधि क्रमांक 25405803 6. कर्मचारी संख्या 89443657

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो, तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है, और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जबलपुर (म0प्र0)	भवन त्रिपुरी वार्ड क्रमांक-64	25×40= (1000 वर्ग फुट)	रू0 20.00 लाख	स्वयं के नाम पर	फरवरी 2014 में सुधा सागर प्रमोटर एंड बिल्डर प्रा.लि. से खरीदा (एच.डी.एफ.सी. से लोन)	निरंक	निरंक

  
हस्ताक्षर

नाम :- अरविंद कुमार उहेरिया  
पद :- निज सचिव

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा में प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।

स्थान - जबलपुर.

दिनांक - 06-12-2016